न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू जिला जयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या : 72/2014

प्रार्थना पत्र दर्ज दिनांक : 11/06/2014

निर्णय दिनांक : 08/02/2021

कपूर चन्द पुत्र श्री आनन्दा जाति कुम्हार निवासी उगरियावास तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।

––प्रार्थी

बनाम

1. कान्ता शाह पत्नि बी.के. शाह जाति महाजन निवासी बी–21 सुदर्शनपुरा विस्तार, 22 गोदाम जयपुर जिला जयपुर
2. नरेन्द्र पुत्र कानाराम उर्फ कान्या जाति कुम्हार निवासी उगरियावास तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0
3. महेन्द्र कुमार पुत्र श्री नामालूम जाति नामालूम निवासी प्लाट नं. 71 शिल्प कॉलोनी, पखां झोटवाडा जयपुर
4. तहसीलदार तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।

––अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति – श्री विरेन्द्र सिंह खंगारोत
श्री चन्द्रभूषण सिंह खंगारोत
विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण

श्री छोटुलाल गुर्जर
विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1

निर्णय दिनांक 08/02/2021

– निर्णय –

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना–पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि जमाबन्दी सम्वत 2069–72 के आराजी खतौनी संख्या 55 के खसरा नम्बर 755 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 756 रकबा 0.56 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 803 रकबा 3.74 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 4.41 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम उगरियावास तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर में स्थित है। उक्त आराजीयात के साबिक खसरा नम्बर 418, 419 रहे है वरवक्त सैटलमेन्ट ग्राम उगरियावास के जागीरदार शिवसिंह थे व विवादित

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)

आराजीयात जागीरदार द्वारा काश्त हेतु आनन्दा पुत्र चतरा को दी गई थी जिस पर आनन्दा पुत्र चतरा काबिज काश्त था तथा बाल्या व आनन्दा परचा सेटलमेन्ट से पूर्व ही अलग हो गये थे। तथा सभी आराजीयात अलग अलग भी समस्त भूमियों का पर्चा अलग अलग आया था परन्तु आराजीयात राजस्व कारकुनानों की गलती से अप्रार्थी संख्या 2 के पूर्वज बाल्या के नाम गलत अंकित हो गई जबकि सम्वत 2008 से ही इस पर आनन्दा बतौर काश्तकार आराजीयात पर चवला की फसल काश्त की थीं। अप्रार्थी संख्या 2 के पूर्वज पर्चा आने से पूर्व ही मथुरा जाकर रहने लग गये थे परन्तु राजस्व कर्मियों द्वारा सहवन से आराजीयात अप्रार्थी संख्या 2 के पूर्वज बाल्या के नाम अंकित कर दी गई है इस पर प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पिता को आराजीयात अपने नाम लगवाने के लिये कहां तो उन्हे आश्वासन दिया कि कभी भी जाकर उक्त त्रुटि को दुरूस्त करवाकर तुम्हारे नाम करवा दूंगा तुम मौके पर काबिज काश्त हो तुम्हे क्या डर है। विवादित आराजीयात में प्रार्थी के पूर्वज आनन्दा ने सम्वत 2008 में चवला की फसल सम्वत 2011 में बाजरा, सम्वत 2012 में बाजरा व मौठ, सम्वत 2013 में मोठ, सम्वत 2014 में बाजरा, सम्वत 2015 में बाजरा, सम्वत 2016 में मोठ, सम्वत 2017 से 2020 में बाजरा व मोठ, ग्वार काश्त किया जिसकी पुष्टि खसरा गिरदावरी से होती है। इसके पश्चात भी प्रार्थी के पूर्वज काबिज काश्त रहे है। परन्तु खसरा नम्बर गिरदावरी बनना बन्द हो गई थी पुनः खसरा गिरदावरी सम्वत 2030 लगायत 2032 में प्रार्थी के पूर्वजों द्वारा बाजरा व मोठ काश्त किया जाना अंकित है एवं इसके पश्चात आज दिनांक प्रार्थी काबिज काश्त है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने की दिनांक को प्रार्थी के पिता आनन्दा बतौर काश्तकार काबिज काश्त था इसलिये विधिक प्रभाव से आनन्दा विवादित आराजीयात का खातेदार काश्तकार हो गया परन्तु आराजीयात सहवन से बाल्या के नाम अंकित कर दी गई इसलिये प्रार्थी खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाने का अधिकारी है। लगातार 60 वर्षो से विवादित आराजीयात पर प्रार्थी के पूर्वजों वे प्रार्थी का कब्जा अप्रार्थी संख्या 2 की जानकारी के बाबजूद रहा है इसलिये यदि अप्रार्थी संख्या 2 के पूर्वजो के कोई अधिकार विवादित आरजीयात पर रहे तो लगातार 12 वर्षो से अधिक समय से कब्जा होने व अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा बेदखली की कार्यवाही नहीं करने से उनके खातेदारी अधिकार समाप्त होकर प्रार्थी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है। गत वर्षो में जमीनों के भावों में अप्रत्याशित वृद्वि हो जाने के कारण अप्रार्थी संख्या 3 ने अपने आपको नरेन्द्र कुमार बताते हुये दिनांक 23.11.2005 को बिना कब्जे के एक नमाईशी

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) चूरू

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) चूरू

विकय पत्र अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित करवा जिसमें बताये गये दोनो गवाह भी फर्जी है एवं विकय पत्र के आधार पर कब्जे का कभी अन्तरण नहीं हुआ न ही ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार अप्रार्थी संख्या 3 को था। इसलिये उक्त विकय पत्र प्रारम्भ से ही शुन्य है एवं इसके आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 को कोई विधिक अधिकार सृजित नहीं होते है परन्तु विकय पत्र के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकाड़ में इन्द्राज हो गया है इसलिये प्रार्थी के लिये यह आवश्यक है कि वह अपने आप को विवादित आराजीयात का खातेदार काश्तकार घोषित करवा लेवे।

प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही है कि "अतः प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान से सादर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि प्रार्थना पत्र के वर्णित मद नम्बर 2 की आराजीयात में प्रार्थी की आराजीयात एवं कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बेजा मजाहमत न स्वंय करें न अन्य किसी नौकर चाकर एजेण्ट आदि से करवाये एंव नही किसी प्रकार से रहन, बेय, हस्तान्तरण, विकय आदि करें एवं राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थित बनाये रखें।"

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण जारी की गयी। दिनांक 25/06/2014 को अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री हरीश कुमार साहू एडवोकेट उपस्थित हुये। दिनांक 02/12/2014 को अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 डी सीपीसी पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया।

दिनांक 05/03/2019 को अप्रार्थी संख्या 1 की ओर सेश्री त्रिलोकेश सिंह व रामजीलाल शर्मा एडवोकेट उपस्थित हुये। दिनांक 05/01/2021 कोअप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री छोटुलाल गुर्जर एडवोकेट ने जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया गया।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 की बहस मूल प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा व उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात जमाबन्दी, नक्शा, खसरा गिरदावरी सम्वत 2008 से 2033 तथा अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र व उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात फोटो प्रति वाद–पत्र प्रभाती बनाम नरेन्द्र, प्रमाणित प्रति सम्पूर्ण पत्रावली उनवानी लीलाधर बनाम

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) बूंदी

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) बूंदी

कपूरचन्द, नक्शा फोटो प्रति, गिरदावरी ग्राम उगरियावास, मिलान क्षैत्रफल, खातों की जमाबन्दी आदि का गहनता से अवलोकन किया गया।

उपरोक्त अवलोकन से प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्ट्या केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का विवेचन निम्न प्रकार से है :–

<u>प्रथम दृष्ट्या मामला</u>– प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा के समर्थन में जमाबन्दी सम्वत 2069 से 2072 पेश की गयी है, उसके अनुसार खाता संख्या 55 की आराजी का अप्रार्थी संख्या 1 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है प्रार्थी ने अपने वाद व प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में विवादित आराजीयात को गलत रूप से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज होना बताते हुये अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने हेतु उक्त प्रार्थना–पत्र पेश किया गया हैं वही अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने जवाब में प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को खारिज किये जाने का निवेदन किया है, चूंकि अवलोकन से यह पाया जाता है कि अप्रार्थी संख्या 1 विवादित आराजीयात का सद्‌भावी क्रेता होकर रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है, इसलिये प्रथमतः तो एक रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को अस्थायी निषेधाज्ञा से कानूनन पाबन्द नही किया जा सकता वही दुसरी ओर विवादित आराजीयात में प्रार्थी का यदि किसी प्रकार से हक व हिस्सा निहित है तो उसका मूल वाद के निस्तारण के समय ही हो पायेगा, लेकिन वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1 जो कि विवादित आराजीयात का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है, इसलिये कानूनन रिकार्डेड खातेदार /अप्रार्थी संख्या 1 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता है इस प्रकार प्रकरण के अवलोकन से प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में न होकर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में प्रबल पाया जाता हैं।

<u>सुविधा का सन्तुलन</u> – यह कि चूंकि अप्रार्थी संख्या 1 विवादित आराजीयात का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है इसलिये रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता हैं तथा प्रार्थी का प्रश्नगत भूमि में किसी प्रकार से हक निहित है, तो उसका निर्धारण मूल वाद के विनिश्चय पर हो सकेगा, इसलिये वर्तमान स्थिति में यदि अप्रार्थी संख्या 1 जो कि विवादित आराजीयात का रिकार्डेड खातेदार है, को पाबन्द किया जाता है, तो अप्रार्थी संख्या 1 को अपूर्तनीय क्षति कारित होगी एवं प्रकरण में भी बेवजह पेचीदगीयां बढेगी जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होगा तथा पक्षकारान के हक–हकूक मूल वाद एवं सिविल

सहायक कलक्टर

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू

न्यायालय में विचाराधीन वाद के निस्तारण पर स्वतः ही निर्धारण हो सकेगे ऐसी स्थिति में सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के बजाय अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में बनना पाया जाता हैं।

<u>अपूर्तनीय क्षति</u> – चूंकि प्रथम दृष्ट्या केस एवं सुविधा का सन्तुलन उक्त दोनों बिन्दू अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में बनना पाये जाते है, फिर भी यदि अप्रार्थी संख्या 1 को यदि पाबन्द किया जाता है तो अप्रार्थी संख्या 1 को अपूर्तनीय क्षति होगी।

इस प्रकार प्रथम प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति तीनों बिन्दू अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में प्रबल है, जिसको अप्रार्थी संख्या 1 ने दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया हैं। ऐसी स्थिति में यह न्यायालय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाना उचित समझता हैं।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विवादित आराजी खाता संख्या 55 के आराजी खसरा नम्बर 755, 756, 803 कुल किता 03 कुल रकबा 4.4100 हैक्टेयर वाके ग्राम उगरियावास, तहसील मौजमाबाद के बाबत खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 08/02/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
दूदू (जयपुर)